लोकप्रिय मसाला ब्रांड कीटनाशकों से युक्त

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान में **भारतीय मसालों** के लेबल पर कैंसर उत्पन्न करने वाले **रसायन** एथिलीन ऑक्साइड **(Ethylene Oxide- ETO)** की संदिग्ध उपस्थिति के कारण उन्हें **मानव उपभोग के लिये अनुपयुक्त माना गया है।**

- सिंगापुर, हॉन्गकॉन्ग और नेपाल ने इन भारतीय मसाला लेबलों के वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया है।

मुख्य बिंदु:

- नवीनतम रिपोर्टों के अनुसार, खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ राज्य के अभियान के तहत **राजस्थान के स्वास्थ्य विभाग** द्वारा किये गए **गुणवत्ता परीक्षणों में मसाले ब्रांड विफल रहे।**
    - नमूना परीक्षण के दौरान पाया गया कि मसालों में **थायोमेथॉक्सैम, एसिटामिप्रिड, इथिओन और एज़ोक्सीस्ट्रोबिन** मौजूद हैं।
- जाँच दल ने पाया कि इन **मसालों में कीटनाशकों का स्तर स्वीकार्य सीमा से अधिक है, जो स्वास्थ्य के लिये गंभीर खतरा उत्पन्न कर सकता है।**

एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide- ETO)

- **ETO** एक रसायन है जिसका उपयोग मसालों में **कीटाणुरोधी पदार्थ** के रूप में किया जाता है, परंतु एक निश्चित सीमा से अधिक उपयोग करने पर इसे **कैंसरकारी** माना जाता है।
- हालाँकि **ETO** संदूषण को रोकने के प्रयास किये जा रहे हैं, जबकि प्रमुख बाज़ारों में भारतीय मसाला निर्यात के तहत मसाला सैंपल विफलता दर **1% से कम** है।
- मसाला बोर्ड ने ETO संदूषण को रोकने तथा सभी बाज़ारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये निर्यातकों को दिशा-निर्देश जारी किये।
- यह मसालों के लिये कीटाणुरोधी पदार्थ के रूप में ETO का उपयोग न करने की सलाह देता है तथा **वाष्प कीटाणुरोधन एवं विकिरण** जैसे विकल्पों का सुझाव देता है।

थायोमेथॉक्सैम (Thiamethoxam)

- थायोमेथॉक्सैम मनुष्यों के लिये मध्यमतः खतरनाक है **क्योंकि इसका सेवन करने पर नुकसान होता है।** यह किसी भी इन विट्रो और इन विवो टॉक्सिकोलॉजी परीक्षणों में **त्वचा या आँखों को नुकसान** करने वाला नहीं पाया गया तथा न ही उत्परिवर्तनीय पाया गया।

एसिटामिप्रिड (Acetamiprid)

- यह एक **कार्बनिक यौगिक** है। यह एक **गंधहीन नियोनिकोटिनोइड** (न्यूरो-एक्टिव कीटनाशक जो रासायनिक रूप से निकोटीन के तुल्य है) कीटनाशक है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI)

- भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत गठित एक वैधानिक निकाय है।
- FSSAI भारत में खाद्य **सुरक्षा एवं गुणवत्ता को** विनियमित और पर्यवेक्षण करके **सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा** तथा संवर्धन के लिये उत्तरदायी है, जो **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय** के अधीन कार्य करता है
- FSSAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है और देश भर में इसके 8 क्षेत्रीय कार्यालय हैं
- FSSAI के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। **अध्यक्ष भारत सरकार के सचिव के पद पर होता है।**

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/popular-spice-brands-adulterated-with-insecticides